



# भागलपुर समाहरणालय (जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर)



निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 365 दिनांक 02.03.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में वृहद आश्रय गृह, अलीगंज, भागलपुर अंतर्गत संचालित बालगृह (बालिका) यूनिट-01 एवं 02 में निम्नांकित पदों पर विनिर्धारित मानदेय पर संविदा आधारित अस्थाई नियोजन हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

(विज्ञापन संख्या -01/2026)

बालगृह (बालिका) हेतु केवल महिला अभ्यर्थी के लिए

Sl. No.	Name of Post	Description of Post	Min & Max, Age Limit	Essential Qualification	Desired Experience	Honorarium per Month
01	Educator (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) Total-02 Only For Female	UR Female 18-40 Years EBC Female- 18-40 Years	10+2 with Diploma in elementary education (D.EL.ED.) or B.Ed. from recognized University	At least one Year experience of teaching in a school or institution.	10,000/-
02	Art & Craft cum Music Teacher (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) Total-02 Only For Female	UR Female 18-40 Years EBC Female- 18-40 Years	10+2 with Diploma/Degree in Art & Craft/Music from a recognized University	At least one Year experience in a school or institution.	10,000/-
03	PT Instructor cum Yoga Trainer (Part Time)	01 (UR) 01 (EBC) Total-02 Only For Female	UR Female 18-40 Years EBC Female- 18-40 Years	10+2 with Diploma /Degree in Yoga/Sports/Athletics/ Physical education	At least one Year experience in a school or institution.	10,000/-
04	Cook	02 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-04 Only For Female	UR Female- 18-40 Years EBC Female- 18-40 Years SC Female- 18-42 Years	8 <sup>th</sup> Pass	At least one Year experience in a school or institution.	9,930/-
05	Helper cum Night Watchman	02 (UR) 01 (EBC) 01 (SC) Total-04 Only For Female	UR Female- 18-40 Years EBC Female- 18-40 Years SC Female- 18-42 Years	8 <sup>th</sup> Pass	कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं है।	7,944/-
06	House Keeper (Sweeper)	01 (UR) 01 (EBC) Total-02 Only For Female	UR Female- 18-40 Years EBC Female- 18-40 Years	8 <sup>th</sup> Pass	कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं है।	7,944/-



# भागलपुर समाहरणालय

## (जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर)



07	Care Taker cum Vocational Instructor(For Special Unit) Girls Home-1	01 (UR) Total-01 Only For Female	UR Female- 18-40 Years	Matriculation With certificate course in Vocational Trade (Tailoring, Handicraft, Mobile Repairing, Basic Computer Skill Like Data Entry Etc)	Minimum of 01 Years Experience working as a Vocational Trainer/Instructor in a school or institution	9,930/-
----	---	----------------------------------	------------------------	---	--	---------

01. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं संबंधित अंक पत्र सहित) फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण हेतु केवल बिहार के मूल निवासी के लिए) आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 16.06.2026 के शाम 05:00 बजे तक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर के पते जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय, डी0आर0डी0ए0 भवन, प्रथम तल, समाहरणालय परिसर, भागलपुर के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक/हाथों हाथ भेज सकते हैं। उपरोक्त समय-सीमा के पश्चात् तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन ही मान्य होंगे। आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को देय है। अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे तथा विज्ञापन संख्या एवं पद का उल्लेख करेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
02. अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना 01.05.2026 के आधार पर किया जाएगा।
03. आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में "बालगृह (बालिका) यूनिट-01 एवं 02 में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम" उल्लेख अवश्य करेंगे।
04. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंतिम 06 माह का वेतन/परिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/वेतन विवरणी प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग/मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंध हो एवं प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापांक दिनांक के साथ निर्गत हो।
05. बाल देखरेख संस्थानों में वर्तमान में अभिरुचि के आधार पर कार्यरत NGO द्वारा नियोजित कर्मी को नियोजन के उपरांत की गई सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। आयु सीमा में छूट केवल उसी पद के लिए अनुमान्य होगा जिस पद पर NGO द्वारा कर्मी का नियोजन किया गया था। शेष शर्तें यथावत रहेगी।
06. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।
07. विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन फार्म जिला के आधिकारिक वेबसाईट [https:// bhagalpur.nic.in](https://bhagalpur.nic.in) पर देखा जा सकता है। साथ ही साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेघा सूची आदि का प्रकाशन समय-समय पर उक्त वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।



# भागलपुर समाहरणालय

## (जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर)



08. नियोजन के उपरांत सभी दस्तावेजों की जांच कराई जा सकती है। दस्तावेज एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियोजन समाप्त करते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
09. परीक्षा अवधि :- मानदेय आधारित उपरोक्त सभी संविदा आधारित पदों पर प्रारंभ में 01 वर्ष प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।
10. चयन प्रक्रिया :-
- I. क्रम संख्या 01 से 03 एवं 07 के पद पर निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम तकनीकी योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक तथा साक्षात्कार के लिये अंको के वेटेज के आधार पर मेघा सूची का निर्माण किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेघा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- II. क्रम संख्या 04 से 06 तक के पद पर नियोजन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। जिसके लिए अधिकतम 40 अंक निर्धारित है। क्रम संख्या 04 के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेघा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्रम संख्या 05 एवं 06 के पदों के लिए कार्य अनुभव की शर्त अनिवार्य नहीं है।
- III. क्रम संख्या 01 से 03 एवं 07 के पदों के लिए प्रारंभिक मेघासूची 60 अंको की बनायी जायेगी जिसमें न्यूनतम तकनीकी योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक का 50 प्रतिशत अंक तथा 10 (5+5) प्रतिशत अंक न्यूनतम तकनीकी योग्यता से उच्चतर उसी विषय में अधिकतम 02 तकनीकी डिग्री हेतु दिए जायेंगे। उक्त प्रारंभिक मेघासूची से एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु 40 अंक निर्धारित है। अंतिम मेघासूची शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर 100 अंकों के आधार पर बनायी जायेगी।
- IV. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
- V. मेघा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- VI. इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. नियोजन की शर्तें :-
- मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
  - मान्य वैधानिक कारणों से चयनित कर्मियों का नियोजन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
  - चयनित कर्मियों को संस्थान में नियमानुसार आवासन अनिवार्य होगा।
  - चयनित कर्मी की प्रतिनियुक्ति जिला में किसी भी बाल देखरेख संस्थान में किया जा सकता है।

# भागलपुर समाहरणालय

(जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर)



12. नियोजन की अवधि :- मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे, जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद से आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।
  - जिला स्तर से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

*Baby*

22-5-26

सहायक निदेशक

जिला बाल संरक्षण इकाई,  
भागलपुर।

## आवेदन पत्र

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अधीन जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर द्वारा संचालित पर्यवेक्षण गृह में संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद का नाम .....

विज्ञापन संख्या .....

1. आवेदक का नाम .....
2. माता/पिता/पति का नाम .....
3. कोटि-(सामान्य/पि.व./अ.पि.व./अनु.जा./अनु.जन.जा.) .....
4. जाति .....
5. लिंग – पुरुष  महिला  ट्रांसजेण्डर
6. जन्म तिथि ...
7. राष्ट्रीयता .....
8. वर्तमान/पत्राचार का पता .....
9. स्थायी पता .....
10. दूरभाष/मोबाइल नं० .....
11. ई-मेल .....
12. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित अद्यतन फोटो चिपकायें।

शैक्षणिक योग्यता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी
8 वीं						
मैट्रिक						
इंटर						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
अन्य						

13. अनुभव की विवरणी (प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्रम सं०	संस्था का नाम	पद (जिस पर कार्य किया गया)	कब से	कब तक	वर्तमान में कार्यरत हैं या नहीं	कुल कार्यावधि

14. घोषणा – मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त अंकित सभी तथ्य सत्य एवं सही हैं। मैं उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखता/रखती हूँ। भविष्य में जाँच के क्रम में यदि कोई तथ्य/सूचना गलत पाया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी तथा मेरा नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

तिथि .....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

स्थान .....